न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस

1. अपील संख्याः 45/21 निर्णय दिनांकः–29-11-2024
(जीसीएमएस संख्या 2021/247)

1. कानाराम पुत्र नानूराम जाति जाट निवासी बिग्गा बास रामसरा तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।

–अपीलांट

–बनाम–

1. रामप्रताप उर्फ मनीराम पुत्र लिछमणराम जाति जाट निवासी बिग्गा रामसरा तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।
2. भंवरी उर्फ भूरी पत्नी लिछमणराम जाति जाट निवासी बिग्गा रामसरा तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।
3. धापू पुत्री लिछमणराम जाति जाट निवासी बिग्गा रामसरा तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।
4. मन्जू पुत्री लिछमणराम जाति जाट निवासी बिग्गा रामसरा तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।
5. सन्तरा पुत्री लिछमणराम जाति जाट निवासी बिग्गा रामसरा तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।
6. तुलछाराम पुत्र नानूराम जाति जाट निवासी बिग्गा रामसरा तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।
7. मोहनराम पुत्र नानूराम जाति जाट निवासी बिग्गा रामसरा तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।
8. सुरजाराम पुत्र नानूराम जाति जाट निवासी बिग्गा रामसरा तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।
9. केशरदेवी पत्नी दुलाराम जाति जाट निवासी बिग्गा रामसरा तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।
10. रामकरण पुत्र दुलाराम जाति जाट निवासी बिग्गा रामसरा तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।
11. कविता पुत्री दुलाराम जाति जाट निवासी बिग्गा रामसरा तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।
12. गोदावरी पुत्री दुलाराम जाति जाट निवासी बिग्गा रामसरा तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।
13. बसन्ती पुत्री दुलाराम जाति जाट निवासी बिग्गा रामसरा तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

14. रामकन्या पुत्री दुलाराम जाति जाट निवासी बिग्गा रामसरा तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।
15. विमला पुत्री दुलाराम जाति जाट निवासी बिग्गा रामसरा तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।
16. सन्तोष पुत्री दुलाराम जाति जाट निवासी बिग्गा रामसरा तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।
17. सरोज पुत्री दुलाराम जाति जाट निवासी बिग्गा रामसरा तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।
18. श्यामसुन्दर पुत्र धर्मचन्द जाति जाट निवासी श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।
19. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीडूंगरगढ़।

–रेस्पोडेन्ट्स

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

अपील विरुद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 17–09–2020
उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूँगरगढ़

उपस्थितः–

1. श्री ओम जाखड, अभिभाषक अपीलांट्स
2. श्री हरीशचन्द्र व्यास, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स
3. श्री मिलापचन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट्स ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूँगरगढ़ के निर्णय व डिक्री दिनांक 17–09–2020 जिसके द्वारा विधि विरूद्व तरीक से निर्णय व विभाजन की डिक्री पारित की गई है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त भूमि खेत खसरा नम्बर 269 तादादी 11.3300 हेक्टर, खसरा नम्बर 49 तादादी 13.5300 हेक्टर, खेत खसरा नम्बर 1019 तादादी 7.5900 हेक्टर, खसरा नम्बर 1226 तादादी 2.8300 हेक्टर, खसरा नम्बर 1230 तादादी 15.0400 हेक्टर, खसरा नम्बर 160 तादादी 14.5800 हेक्टर भूमि के बाबत् रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 5 द्वारा अदालत मातहत के समक्ष विभाजन का दावा प्रस्तुत किया गया। उक्त वादपत्र दिनांक दर्ज रजिस्टर करते हुए रेस्पोडेन्ट्स को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब करते हुए आगामी तारीख पेशी दिनांक 17—02—2022 नियत की गई। उक्त दिनांक को प्रतिवादी संख्या 15 की तरफ से जरिये अधिवक्ता वकालतनामा प्रस्तुत किया गया, परन्तु उक्त दिनांक को प्रतिवादी संख्या 15 द्वारा न्यायालय के समक्ष जवाब पेश करते हुए नाम तर्क किये जाने का कथन करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्य पक्षकारों की उपस्थिति सुनिश्चत किये बिना ही व किसी प्रकार की कोई बहस नहीं किये जाने के बावजूद भी आक्षेपित आदेश दिनांक 17—09—2022 को विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी कर दी गई। अदालत मातहत के उक्त कृत्य मात्र से साबित है कि अदालत मातहत द्वारा मात्र वादी को बेजा फायदा पहुँचानें की नियत मात्र से पत्रावली में तमाम कार्यवाही निष्पादित की गई है। इस प्रकार अदालत मातहत के समक्ष वादपत्र प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा अपीलांट्स को सुनवाई व सबूत का कोई अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलांट्स को उसके हक व हिस्से व कब्जे काश्त की भूमि से वंचित किया गया है। अदालत मातहत द्वारा पत्रावली पर एकतरफा बहस सुनकर निर्णय पारित कर दिया गया।

उन्होनें आगे कथन किया कि प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा विभाजन की डिक्री जारी करते समय व तहसीलदार द्वारा विभाजन के प्रस्ताव तैयार करते हुए संयुक्त खातेदारों के कब्जे काश्त व धारण की भूमि को नजरअंदाज करते हुए विभाजन के प्रस्ताव तैयार किये गये है। अदालत मातहत द्वारा मौके की जॉच किये बिना ही वादी के कथन मात्र पर विश्वास करते हुए विभाजन की डिक्री जारी की गई है। जबकि इस संबंध में स्पष्ट नियम है कि संबधित तहसीलदार स्वयं मौके पर जाकर सभी पक्षों की उपस्थिति में विभाजन के प्रस्ताव तैयार करते हुए अपनी रिपोर्ट उपखण्ड अधिकारी को प्रेषित करें। प्रस्तुत प्रकरण में वादग्रस्त

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

भूमि के बाबत् विभाजन के प्रस्ताव तैयार किये गये है वह प्रस्ताव संबंधित पक्षकारों की उपस्थिति में तैयार नहीं किये गये है। जिससे साबित है कि अदालत मातहत द्वारा विभाजन के आज्ञापक प्रावधानों की स्पष्ट रूप से अवहेलना की गई है। **विभाजन के मामलों में सर्वप्रथम यह देखा जाना होता है कि** विधायिका द्वारा स्पष्ट रूप से विभाजन के प्रतिपादित सिद्वान्त अर्थात राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए विभाजन के प्रस्ताव तैयार किये गये है अथवा नहीं? अदालत मातहत की पत्रावली में उपलब्ध प्रस्ताव के अवलोकन मात्र से यह तथ्य साबित है कि अदालत मातहत द्वारा विभाजन के प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व अपीलांट्स/प्रतिवादीगण को कोई नोटिस अथवा सूचना प्रदान नहीं की गई है। लिहाजा आदेश जैर अपील स्पष्ट रूप से प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत पारित किया गया आदेश है। यदि तत्समय अपीलांट्स को सुनवाई व सबूत का कोई अवसर प्रदान किया जाता तो उक्त तमाम स्थिति अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अपना पक्ष रखा जाता। प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा जो प्रस्ताव तैयार किये गये है वह प्रस्ताव मौके पर कब्जे काश्त व धारण की भूमि से भिन्न है तथा मौके पर सभी सह खातेदार अलग–अलग स्थान पर बैठे है। जिसको स्पष्ट रूप से नजरअंदाज किया गया है तथा मौके की स्थिति के विपरीत जाकर उक्त प्रस्ताव तैयार किये गये है, ना ही मौके की जॉच की कोई फर्द ही बनाई गई है। जिससे साबित है कि अदालत मातहत द्वारा तमाम कार्यवाही आनन–फानन में की गई है। अदालत मातहत द्वारा विभाजन के नियमों की अवहेलना करते हुए व विभाजन के नियमों पर माईन्ड एप्लाई किये बिना रेस्पोडेन्ट् संख्या 1 ता 5 को सीधे रूप से फायदा देने की गरज से अपीलाधीन आदेश एवं डिक्री पारित की है। जिसकी कानून में कोई मान्यता नहीं है। ऐसे एकतरफा आदेश को कानून से किसी प्रकार की मान्यता प्राप्त नहीं हो सकती है।

मियांद के संबंध में अभिभाषक अपीलांट ने कथन किया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर मात्र अपीलांट्स की उपस्थिति अंकित करते हुए पारित किया गया है। जिसकी जानकारी अपीलांट्स को प्राप्त नहीं हो सकी थी। अपीलांट्स को अपीलाधीन आदेश की सर्वप्रथम जानकारी तब प्राप्त हुई जब रेस्पोडेन्ट्स मौक पर आये व

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

कथन किया उक्त भूमि का विभाजन हमारे द्वारा करवा लिया गया है। तब जानकारी के दिन से बिना किसी विलम्ब के अपीलांट्स द्वारा अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है। विधि का भी यह सर्वमान्य सिद्वान्त है कि जहॉ पक्षकारों के मध्य विवाद का निर्धारण गुणावगुण पर किया जाना हो वहॉ विकल्ब को माफ किया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में एकतरफा तौर पर पारित आदेश में मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अपीलांट् द्वारा जानकारी के दिन से अन्दर मियांद अपील प्रस्तुत करते हुए शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स द्वारा मियांद को कण्डोन करने हेतु जो कथन किया गया है उस पर विश्वास करते हुए अपील अन्दर मियांद शुमार करते हुए अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जाकर अपीलांट्स की अपील स्वीकार फरमाई जावे व प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जावे कि वे अपीलांट्स को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए मौके की जॉच करते हुए व अपीलांट्स के कब्जे काश्त व धारण की भूमि को ध्यान में रखते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

6. अभिभाषक रेस्पोडेन्ट् संख्या 1 ता 5 ने पत्रावली पर बहस करते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादपत्र प्रस्तुत करते हुए आराजी जैर के बाबत् दावे के साथ संलग्न नजरी नक्शें व सभी पक्षकारों के कब्जे काश्त के अनुसार खाता विभाजन करने की इस्तदुआ की गई। जिस पर अदालत मातहत द्वारा अपीलांट्स/प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। अपीलांट्स/प्रतिवादीगण के अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित नहीं आने पर संबंधित तहसीलदार को विभाजन के प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया। जिस पर संबंधित तहसीलदार द्वारा वादीगण/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 5 के हक व हिस्से की भूमि पर उनके कब्जे काश्त/ हक व हिस्से की भूमि के अनुसार विभाजन की कुरेजात रिपोर्ट प्रेषित किये जाने पर आराजी जैर की प्राथमिक डिक्री पारित की गई है। प्रकरण में जहॉ तक अपीलांट् का यह कथन कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस तामीली की सुनिश्चिता नहीं की गई है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि विधि में इस संबंध में सिविल प्रकिया संहिता, 1908 के आदेश 9 नियम 13 में स्पष्ट प्रावधान अंकित किये गये है, जिसके आधार पर अपीलांट् द्वारा प्रार्थना पत्र पेश करते हुए उनके

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

विरूद्व की गई एकतरफा कार्यवाही को निरस्त करवाया जा सकता था। प्रकरण में अपीलांट् द्वारा ऐसी कोई कार्यवाही की गई हो, का प्रमाण पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट् उक्त तथ्य का लाभ अपील के स्तर पर प्राप्त नहीं कर सकते है।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 5 ने आगे बताया कि विभाजन के मामलों में यह देखा जाता है कि पक्षकारों के मध्य विभाजन बाई मिट्स एण्ड बाऊण्ड्स अर्थात अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी भूमि का बंटवारों पक्षकारों के मध्य किया जावे। प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत वादपत्र पर संबंधित तहसीलदार से मौके की रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरान्त रेस्पोडेन्ट् संख्या 1 ता 5 के हक व हिस्से की भूमि के विभाजन के प्रस्ताव प्रेषित किये जाने पर ही सभी पक्षों के कब्जे काश्त व धारण की भूमि को ध्यान में रखते हुए विभाजन की प्राथमिक डिक्री रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 5 के हक व हिस्से तक की जारी की गई है। ऐसीस्थिति में अपीलांट्स का यह कथन कि आराजी जैर का विभाजन करते समय अदालत मातहत द्वारा मौके की स्थिति की जॉच नहीं की गई है, स्वीकार योग्य कथन नहीं है। अपीलांट्स द्वारा न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे साबित होता हो कि वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट्स का कब्जा किस स्थान पर है तथा अदालत मातहत द्वारा किस प्रकार उनके कब्जे के विपरीत जाकर प्रस्ताव तैयार किये गये है। केवल मात्र मौखिक कथन के आधार पर अपीलांट् किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।

प्रकरण में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि यदि अपीलांट् के उक्त कथन को मान भी लिया जावे कि वे अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित नहीं आये है। फिर भी अदालत मातहत द्वारा केवल मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 5 के हक व हिस्से की भूमि की हद तक न्यायपूर्ण तरीके से खाता विभाजन किया गया है। प्रकरण में अपीलांट्स यह बताने में असमर्थ हुए है कि अदालत मातहत द्वारा जारी विभाजन की डिक्री से किस प्रकार की कोई क्षति हुई है अर्थात उक्त विभाजन से उनके हितों पर क्या विपरीत प्रभाव पड़ा है। ऐसी स्थिति में केवल मात्र तकनीकी बिन्दु के आधार पर विभाजन के प्रकरण को पुनः प्रतिप्रेषित

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट् संख्या 1 ता 5 ने आगे कथन किया कि अपीलांट् द्वारा प्रस्तुत अपील स्पष्ट रूप से मियांद बाहर अपील है। जोकि स्पष्ट रूप से मियांद बाहर अपील है। अपीलांट् द्वारा मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद को कण्डोन करने के जो कारण अंकित किये गये है वे बेबुनियाद व मनगढ़त है जिनका वास्तविकता से कोई सरोकार नहीं है ऐसी स्थिति में अपीलांट् की अपील गुणावगुण के साथ–साथ मियांद के बिन्दु पर भी खारिज फरमाई जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट् संख्या 1 ता 5 द्वारा अपने कथन के समर्थन में आरआरडी 1992 पेज 608, आरआरडी 1987 पेज 476, आरआरटी 2009 पार्ट I पेज 650 व आरआरटी 2018–19 स्प. पेज 218 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

7. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

8. जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 17–09–2020 के विरूद्व अपील दिनांक 04–10–2020 को प्रस्तुत की गई है। अपीलांट्स द्वारा अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। अपीलांट् का मुख्य कथन है कि अदालत मातहत द्वारा आक्षेपित आदेश एकतरफा तौर पर पारित किया गया है एवं अपीलांट् द्वारा जानकारी के दिन से अपील अन्दर मियांद प्रस्तुत की गई है। इसके विपरीत रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 5 का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता के हक व हिस्से की भूमि ही हद तक ही आदेश जैर अपील पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट् की अपील मियांद बाहर होने से मियांद के बिन्दु पर खारिज फरमाई जावे। इस संबंध में हमारा अभिमत है कि चूंकि प्रकरण में सभी पक्ष न्यायालय के समक्ष उपस्थित आ चुके

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

है तथा विधि का भी यह सर्वमान्य सिद्वान्त रहा है कि जहॉ पक्षकारों के मध्य विवाद का निर्धारण गुणावगुण पर किया जाना हो, वहॉ मियांद के बिन्दु अर्थात मियांद में अत्याधिक विलम्ब न होने की स्थिति में न्यायालय को मियांद बिन्दु पर नरम रूख अपनाते हुए प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना चाहिए। न्यायालय का यह भी मत है कि चूंकि पक्षकारान् ग्रामीण परिवेश के काश्तकार व्यक्ति होते है, जिन्हें न्यायालय के दिन प्रतिदिन की कार्यवाही की जानकारी प्राप्त नहीं होती है। लिहाजा प्रकरण की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपीलांट्स की अपील अन्दर मियांद शुमार की जाती है।

प्रकरण में जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है, अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि के बाबत् रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 5 द्वारा विभाजन का दावा प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा दिनांक 17—09—2020 को विभाजन की प्राथमिक डिक्री संबंधित तहसीलदार से प्रस्ताव प्राप्त होने के उपरान्त वादीगण के हक व हिस्से तक की भूमि के विभाजन की डिक्री पारित की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि के शेष सह खातेदारों की भूमि के संबंध में किसी प्रकार के विभाजन के आदेश पारित नहीं किये गये है। ऐसी स्थिति में अपीलांट् द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत करते हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना अपीलांट्/प्रतिवादीगण को जवाब व सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना मौके व कब्जे काश्त की भूमि के विपरीत जाकर एकतरफा तौर पर वादी के कथनानुसार विभाजन की डिक्री पारित की गई है, अथवा ज्यादा किया गया है या नहीं? एक दूसरे के कब्जे काश्त व धारण की भूमि ध्यान रखा गया है या नहीं? एवं विभाजन करते समय रास्ते के आज्ञापक प्रावधानों का ध्यान रखा गया है या नहीं? अदालत मातहत की पत्रावली के साथ संलग्न नजरी नक्शें के अवलोकन से यह साबित होता है कि द्वारा आदेश जैर अपील में विभाजन के सभी आज्ञापक प्रावधानों की पालना/रास्ते के प्रावधानों को शामिल करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया जाना स्पष्ट रूप से परिलक्षित होने से अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप करना युक्तियुक्त व तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है। प्रकरण में चूंकि पक्षकारों के मध्य वादग्रस्त भूमि के बाबत् अंतिम डिक्री जारी होन शेष है, ऐसी स्थिति में यदि अपीलांट् अधीनस्थ न्यायालय को आराजी जैर के विभाजन के संबंध में किसी प्रकार की

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

कोई आपत्ति है भी तो वह अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आराजी जैर की अंतिम डिक्री जारी करने से पूर्व अपनी आपत्ति पेश करने हेतु स्वतन्त्र है तथा अधीनस्थ न्यायालय को इस संबंध में निर्देश दिये जाने उचित पाते है कि यदि अपीलांट् द्वारा विभाजन की अंतिम डिक्री से पूर्व किसी प्रकार की कोइ आपत्ति पेश की जाती है तो सर्वप्रथम उक्त आपत्ति का निस्तारण करते हुए विभाजन की अंतिम डिक्री जारी की जावे।

7. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट् की अपील खारिज की जाकर उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूँगरगढ़ का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 17–09–2020 यथावत बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय आज दिनांक 29-11-2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर